UPGK010007512022

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, गोरखपुर।

आर्बिट्रेशन इजरावाद संख्या- 12/2022

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेंस कंपनी लि० ----- बनाम ----- मो० सब्बीर एवं एक अन्य

दिनांक 10.03.2026

पत्रावली पेश हुई। बार बार पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि डिक्रीदार को विपक्षीगण की संपत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है, परन्तु विगत कई तिथियों से उनकी ओर से विपक्षीगण/निर्णित ऋणी की संपत्ति का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत विगत तिथियों पर डिक्रीदार को न्यायहित में विपक्षीगण की संपत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। परन्तु आज भी पुकार पर डिक्रीदार की ओर से न तो कोई उपस्थित है, न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है और न ही विपक्षीगण की संपत्ति का विवरण ही प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि डिक्रीदार की प्रस्तुत इजरावाद में कोई रूचि शेष नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत इजरावाद बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार प्रस्तुत आर्बिट्रेशन इजरावाद बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-10.03.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डे-II)
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.03.10 16:40:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court